भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 127*

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

127*. श्रीमती गेनीबेन नागाजी ठाकोर:

श्री महेश कश्यप:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो बस्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित इसका विवरण क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राकृतिक और जैविक खेती के तहत कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण क्या है;

(ग) प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन, विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की पृथक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन), भंडारण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी नई योजना को लागू करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिला-वार लाभान्वित किसानों की संख्या और वितरित राशि का विवरण क्या है;

(च) छोटे, सीमांत और जनजातीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं; तथा

(छ) बस्तर में मोटे अनाज (श्री अन्न), कोदो, कुटकी, रागी और अन्य पारंपरिक फसलों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन" विषय के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (क) से (छ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी, जिसे देश में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं लागू की जा रही हैं, अर्थात परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर), जो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जा रही है। एनएमएनएफ और पीकेवीवाई दोनों योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित लागू की जा रही हैं। बस्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान एनएमएनएफ और पीकेवीवाई का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**बस्तर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले**	**योजना**			
		एनएमएनएफ	**एनएमएनएफ**	**पीकेवीवाई**	**पीकेवीवाई**
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	**किसानों की संख्या**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**	**किसानों की संख्या**
1	बस्तर	700	1750	2000	1249
2	कोण्डागांव	800	2000	1000	764
3	दंतेवाड़ा	3600	9000	51779*	11044*
4	बीजापुर	2000	5000	1000	787
5	सुकमा	1000	2500	1000	891
6	नारायणपुर	500	1250	1000	646

*लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (एलएसी) क्षेत्रफल

विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक और जैविक खेती के तहत कवर किए गए क्षेत्रफल तथा लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध– I एवं II** पर दिया गया है।

(ग) एवं (घ): एनएमएनएफ के तहत, योजना के क्लस्टर-स्तरीय कार्यान्वयन में सहायता के लिए 527 कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.), 76 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों (एलएनएफआई) की पहचान की गई है। (इन केवीके / एसएयू के) वैज्ञानिकों, योजना को लागू करने वाले राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और किसान मास्टर प्रशिक्षकों (एफएमटी) को प्रशिक्षण देने के लिए

18 प्राकृतिक खेती संस्थान केंद्रों (सीओएनएफ) की पहचान की गई है। के.वी.के., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) एवं स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों (एलएनएफआई) से 1,717 वैज्ञानिकों व किसान मास्टर प्रशिक्षकों (एफएमटी) तथा 2,044 राज्य और जिला अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित किया गया है। क्लस्टर स्तर पर किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों में सहायता प्रदान करने के लिए समुदाय संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को तैनात किया जाता है। वैज्ञानिकों और एफएमटी द्वारा के.वी.के., एसएयू और एलएनएफआई में ऐसे सीआरपी और किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों और लाभों, मिशन के बारे में तथा जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे बायो-इनपुट तैयार करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। 37,731 कृषि सखियों/ सीआरपी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

उपरोक्त अनुसार अब तक एनएमएनएफ के तहत 23,13,238 किसानों को सहयोग प्रदान किया जा चुका है तथा ₹65,924.34 लाख का व्यय किया जा चुका है। प्राकृतिक खेती को अपनाना सुगम हो, इस हेतु निम्नलिखित सहयोग प्रदान किए जा रहे हैं:

(i) एक किसान को 02 वर्षों तक (प्रति किसान अधिकतम 1 एकड़ तक) ₹4000/- प्रति एकड़, प्रति वर्ष का आउटपुट आधारित प्रोत्साहन;

(ii) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) तथा किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों पर प्रशिक्षण;

(iii) केवीके, एसएयू, एलएनएफआई और एफएमटी क्षेत्रों में प्रति मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फ़ार्म (एमडीएफ) की स्थापना के लिए ₹ 50,000/- की सहायता दी गई।

(iv) प्राकृतिक खेती इनपुट की सुगम उपलब्धता हेतु प्रति बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटरर्स (बीआरसी) की स्थापना के लिए ₹1,00,000/- का सहयोग प्रदान करना;

(v) प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए दो वर्षों की अवधि हेतु ₹2,100 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में ₹ 31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। इसमें से ₹ 15,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट (जैविक कंपोस्ट सहित) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों में ₹ 4,500/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रमाणन के लिए 3 वर्षों के लिए ₹ 3,000/हेक्टेयर दिए जाते हैं। प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों में ₹ 9,000/हेक्टेयर की दर से भी सहायता दी जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन, किसानों को जैविक इनपुट आदि के लिए सहायता हेतु 3 वर्षों में ₹ 46,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। इसमें से योजना के तहत ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए ₹ 32,500 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में ₹ 15,000 शामिल हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रमाणन की गतिविधियों के लिए 3 वर्षों में ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर वैल्यू चेन मार्केटिंग के लिए 3 वर्षों में ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अबतक, 36,38,043 किसानों को उपर्युक्त सहायता प्रदान की गई है तथा पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के लिए ₹ 370353.02 लाख का व्यय किया गया है।

मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती उत्पाद के प्रमाणन हेतु प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली (एनएफसीएस) प्रारंभ की गई है। एनएफसीएस, सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया नैचुरल) के अंतर्गत "पीजीएस-इंडिया नेचुरल" लोगो के साथ एक डिजिटल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अपनाती है। अब तक प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली के अंतर्गत 22.47 लाख से अधिक किसान पंजीकृत किए जा चुके हैं तथा 14.43 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। प्राकृतिक खेती प्रमाणित उत्पाद बाजार में तथा बिजनेस-टू-कंज्यूमर बिक्री हेतु ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर भी उपलब्ध हैं।

सरकार ने छोटे किसानों को ये लाभ प्राप्त करने, खेती प्रणालियों को अधिक टिकाऊ, समृद्ध और लाभदायक बनाने में मदद करने के लिए जैविक प्रमाणन की शुरुआत की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस-इंडिया) जैविक प्रमाणन लागू किया जा रहा है। पीजीएस-इंडिया प्रमाणन कार्यक्रम के तहत अब तक 16.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्रमाणित किया जा चुका है, जिससे 24.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पीजीएस-इंडिया के तहत जैविक खेती के लिए अब तक 500 से अधिक ब्रांड विकसित किए गए हैं, जिन्हें बाजार में अच्छे और स्थिर मूल्य मिले हैं। पीजीएस-इंडिया जैविक प्रमाणन कार्यक्रम के तहत विकसित प्रमुख ब्रांडों में प्योर एंड श्योर (बेंगलुरु), स्वदेशम ऑर्गेनिक्स (उत्तर प्रदेश), ऑर्गेनिक हिमाचल, ऑर्गेनिक झारखंड, केरला ऑर्गेनिक, सहजा अहारम (हैदराबाद), तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आदिम ऑर्गेनिक (दंतेवाड़ा), ऑर्गेनिक उत्तराखंड, नमामि गंगे जैविक काशी आदि शामिल हैं।

जैविक उत्पादों के लिए थर्ड-पार्टी प्रमाणन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), निर्यात और बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वर्ष 2025-26 तक एनपीओपी जैविक प्रमाणन के

तहत 39.68 लाख हेक्टेयर भूमि प्रमाणित की जा चुकी है। एनपीओपी प्रमाणन के तहत विकसित प्रमुख ब्रांडों में मंत्रा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इंडिया, नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स, मोरारका आदि शामिल हैं।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों ने अपने स्वयं के जैविक उत्पाद ब्रांड विकसित किए हैं, जैसे ऑर्गेनिक अरुणाचल (अरुणाचल प्रदेश), ऑर्गेनिक मणिपुर (मणिपुर), मिशन ऑर्गेनिक मिजोरम (मिजोरम), नागा ऑर्गेनिक (नागालैंड), सिक्किम ऑर्गेनिक (सिक्किम), मेघा (मेघालय) और त्रिपुरा ऑर्गेनिक (त्रिपुरा), असोमा (असम) जिनका उपयोग विपणन के लिए उनके जैविक उत्पादों पर किया जाता है।

(ङ) एवं (च): सरकार छोटे, सीमांत और आदिवासी किसानों की आजीविका और आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), कृषोन्नति योजना (केवाई) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का उद्देश्य कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन, कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पीएम-किसान का जिला-वार विवरण **अनुबंध - III** में दिया गया है।

(छ)**:** सरकार छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाजरा/मोटे अनाज के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत श्री अन्न पर एक उप-मिशन लागू कर रही है। एनएफएसएनएम -श्री अन्न के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जनजातीय, छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसानों को विभिन्न मिशन घटकों के कार्यान्वयन, फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन उपायों तथा फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिलों की पहचान करने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लचीलापन दिया गया है, बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ उन शर्तों का पालन किया जाए जो कम उत्पादकता लेकिन उच्च क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता देती हैं। 2026-27 के दौरान एनएफएसएनएम के तहत श्री अन्न के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक कार्य योजना में ₹ 2023.86 लाख (केंद्रीय अंश + राज्य अंश) की राशि स्वीकृत की गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल करके बस्तर में मोटे अनाज (श्री अन्न), कोदो, कुटकी, रागी और अन्य पारंपरिक फसलों के प्रसंस्करण और विपणन का कार्य किया जा रहा है।

अनुबंध - I

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गठित क्लस्टर	पंजीकृत किसान	कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4	500	200
2	आंध्र प्रदेश	5931	651567	428252.564
3	अरुणाचल प्रदेश	251	10982	8805.316
4	असम	67	6683	4884.136
5	बिहार	512	57815	24255.308
6	छत्तीसगढ़	592	72058	31505.416
7	दिल्ली	6	375	150
8	गोवा	13	1623	630.888
9	गुजरात	1377	146108	58740.94
10	हरियाणा	216	12686	10703.212
11	हिमाचल प्रदेश	648	75313	27174.316
12	जम्मू एवं कश्मीर	249	21541	7605.048
13	झारखंड	189	12066	5032.28
14	कर्नाटक	1266	133540	58136.8
15	केरल	135	18937	7984.512
16	लद्दाख	4	621	175.616
17	मध्य प्रदेश	1889	168100	91199.656
18	महाराष्ट्र	2161	168957	63014.96
19	मणिपुर	113	12202	4814.632
20	मेघालय	166	9617	3223.396
21	मिजोरम	363	22110	15800.15
22	नागालैंड	107	7998	3473.12
23	ओडिशा	581	71422	27258.648
24	पुद्दुचेरी	6	772	256.252
25	पंजाब	71	5657	1994.28
26	राजस्थान	2810	262346	111165.58
27	तमिलनाडु	75	7947	3458.912
28	तेलंगाना	529	62186	36800.928
29	त्रिपुरा	336	17294	6648.988
30	उत्तर प्रदेश	2207	240933	87246.9
31	उत्तराखंड	227	24282	10066.548
32	पश्चिम बंगाल	230	9000	3600
	कुल	**23331**	**2313238**	**1144259.302**

अनुबंध - II

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक पीकेवीवाई योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रफल और लाभान्वित किसानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कवर किया गया क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पंजीकृत किसान
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14,491	3590
2	आंध्र प्रदेश	188913	367723
3	बिहार	5620	6369
4	छत्तीसगढ़	82279	41297
5	गोवा	6555.61	8045
6	गुजरात	12500	13217
7	हिमाचल प्रदेश	3.41	9
8	जम्मू और कश्मीर	4662.54	13996
9	झारखंड	20300	22492
10	कर्नाटक	31125	30000
11	केरल	82100	285540
12	लद्दाख	10000.00	14966
13	मध्य प्रदेश	43350	46230
14	महाराष्ट्र	17000	17081
15	मिजोरम	354	354
16	ओडिशा	6500	9661
17	पुडुचेरी	600	827
18	पंजाब	3042.311	3159
19	राजस्थान	52640	70749
20	सिक्किम	15300	15816
21	तमिलनाडु	12000	12089
22	तेलंगाना	97.99	61
23	उत्तर प्रदेश	91400	128652
24	उत्तराखंड	50000	125000
25	पश्चिम बंगाल	24043.88	42052
कुल		**774877.74**	**1278975**

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रफल और लाभान्वित किसानों का राज्य-वार विवरण

राज्य	कवर किया गया क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पंजीकृत किसान
अरुणाचल प्रदेश	7,500	4,140
असम	5,500	5,480
मणिपुर	5,500	5,500
मेघालय	5,500	4,428
मिजोरम	5,500	5,500
नागालैंड	7,500	7,500
सिक्किम	7,651.5292	20,040
त्रिपुरा	6,498.70	6,958
कुल	**51150.2292**	**59546**

अनुबंध - III

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या और वितरित राशि का जिला-वार विवरण।

(राशि करोड़ रुपये में)

जिला	14वीं किस्त (अप्रैल'23 - जुलाई'23): लाभार्थियों की संख्या	14वीं किस्त: जारी राशि	15वीं किस्त (अगस्त'23 - नवंबर'23): लाभार्थियों की संख्या	15वीं किस्त: जारी राशि	16वीं किस्त (दिसंबर'23 - मार्च'24): लाभार्थियों की संख्या	16वीं किस्त: जारी राशि	17वीं किस्त (अप्रैल'24 - जुलाई'24): लाभार्थियों की संख्या	17वीं किस्त: जारी राशि
बालोद	1,11,716	23.41	1,17,496	27.85	1,21,478	27.41	1,24,146	26.52
बलौदाबाजार-भाटापारा	1,05,465	22.55	1,09,662	25.86	1,18,850	27.09	1,24,216	28.24
बलरामपुर-रामानुजगंज	51,667	12.71	54,834	18.33	57,184	12.79	60,303	15.35
बस्तर	45,651	11.75	47,934	14.21	52,951	15.39	55,281	13.93
बेमेतरा	92,731	19.68	99,851	25.07	1,04,639	23.40	1,09,554	26.19
बीजापुर	13,151	2.72	13,544	4.66	14,669	3.53	15,615	3.40
बिलासपुर	75,323	16.65	78,056	19.11	85,912	20.08	92,277	22.74
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	10,323	2.21	11,586	5.01	13,195	3.74	14,058	3.93
धमतरी	82,201	17.71	87,458	20.38	92,744	20.52	96,108	21.07
दुर्ग	73,946	15.56	76,499	17.56	79,974	18.07	81,724	17.36
गरियाबंद	81,850	17.71	87,320	22.24	95,148	21.51	1,00,070	23.27
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	16,945	3.57	18,857	4.48	23,997	6.98	25,916	6.34
जांजगीर-चांपा	79,166	18.02	93,151	27.82	1,01,201	27.24	1,09,661	30.09
जशपुर	57,852	12.86	61,386	19.59	65,732	16.97	70,065	16.08
कबीरधाम	1,05,359	22.61	1,11,605	26.97	1,14,991	24.95	1,17,260	25.03
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	54,521	11.37	56,864	13.47	60,450	14.01	63,454	14.85

कोण्डागांव	37,578	8.87	43,408	15.46	46,849	12.79	54,620	21.40
कोरबा	64,208	13.88	70,251	18.66	73,652	15.34	76,832	17.34
कोरिया	27,876	6.21	30,799	8.76	32,111	7.77	32,960	7.38
महासमुंद	87,804	20.22	93,198	25.50	1,11,241	47.55	1,17,292	28.65
मनेंद्रगढ़-चिड़मिरी-भरतपुर (M C B)	21,032	4.48	24,618	8.94	26,859	8.05	28,092	6.44
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	30,322	6.84	32,297	8.29	33,572	7.45	35,097	9.72
मुंगेली	80,872	17.79	79,312	17.87	87,476	19.77	90,886	19.55
नारायणपुर	6,272	1.34	7,118	2.66	7,818	1.80	8,400	1.91
रायगढ़	76,736	17.08	79,524	19.40	82,256	17.57	86,378	21.36
रायपुर	77,096	16.76	82,419	19.43	90,114	20.63	95,247	22.18
राजनांदगांव	92,863	19.36	97,711	23.65	1,03,209	23.80	1,05,692	22.98
सक्ती	71,128	19.67	67,196	18.69	75,385	26.50	81,505	23.47
सारंगढ़-बिलाईगढ़	47,632	10.27	62,015	20.65	71,996	21.87	74,359	16.84
सुकमा	17,059	4.21	17,450	6.51	19,056	5.95	19,598	4.21
सूरजपुर	87,911	20.39	94,188	28.88	99,972	24.21	1,03,285	23.61
सरगुजा	71,762	17.23	74,976	22.38	80,064	18.89	83,273	18.91
उत्तर बस्तर कांकेर	68,970	14.93	71,678	17.67	76,031	16.74	78,584	17.03
कुल	**20,24,988**	**450.64**	**21,54,261**	**576.05**	**23,20,776**	**580.36**	**24,31,808**	**577.36**

जिला	18वीं किस्त (अगस्त'24 - नवंबर'24): लाभार्थियों की संख्या	18वीं किस्त: जारी राशि	19वीं किस्त (दिसंबर'24 - मार्च'25): लाभार्थियों की संख्या	19वीं किस्त: जारी राशि	20वीं किस्त (अप्रैल'25 - जुलाई'25): लाभार्थियों की संख्या	20वीं किस्त: जारी राशि
बालोद	1,24,078	25.65	1,26,120	26.68	1,21,096	25.14
बलौदाबाजार-भाटापारा	1,28,777	28.36	1,35,471	32.94	1,30,715	28.83
बलरामपुर-रामानुजगंज	62,160	15.24	64,076	14.00	61,748	13.52
बस्तर	57,274	13.80	64,967	14.16	66,228	14.43
बेमेतरा	1,10,442	24.04	1,14,653	28.12	1,11,448	25.62
बीजापुर	16,733	5.01	18,743	4.70	17,037	3.74
बिलासपुर	98,073	23.41	1,05,511	26.98	1,01,564	22.83
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	16,273	4.88	17,275	3.82	16,755	3.56
धमतरी	98,357	21.92	1,02,040	23.63	98,013	21.66
दुर्ग	81,716	17.19	82,648	17.64	79,660	16.63
गरियाबंद	1,02,674	22.44	1,05,355	23.70	99,745	21.60
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	27,578	7.16	30,805	7.61	30,841	7.34
जांजगीर-चांपा	1,20,218	29.78	1,30,132	38.68	1,25,730	30.94
जशपुर	72,779	17.55	74,730	16.75	72,981	15.79
कबीरधाम	1,17,610	24.30	1,20,033	26.76	1,14,957	24.35
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	64,649	14.54	67,754	16.71	64,148	13.90
कोण्डागांव	59,051	17.75	60,738	13.80	58,566	12.46
कोरबा	78,750	17.51	83,020	19.96	80,211	19.21
कोरिया	33,113	6.95	34,266	7.45	32,500	6.75
महासमुंद	1,25,613	27.92	1,32,079	34.76	1,28,356	29.60

मनेंद्रगढ़-चिड़मिरी-भरतपुर (M C B)	29,042	7.15	29,617	6.27	28,369	5.87
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	35,742	8.41	36,571	8.49	34,698	7.46
मुंगेली	93,153	20.16	96,058	20.85	88,269	18.66
नारायणपुर	8,911	2.36	9,613	2.35	10,709	2.87
रायगढ़	87,319	18.89	89,994	20.75	87,382	19.24
रायपुर	98,605	21.65	1,02,036	22.75	95,883	21.05
राजनांदगांव	1,06,474	22.89	1,08,569	24.60	1,04,722	22.49
सक्ती	86,055	18.75	90,372	30.15	87,830	23.54
सारंगढ़-बिलाईगढ़	75,054	16.08	77,435	18.17	74,126	17.20
सुकमा	19,926	4.65	21,654	6.81	20,904	4.50
सूरजपुर	1,04,218	22.75	1,06,977	23.05	1,02,414	21.48
सरगुजा	88,028	22.66	92,027	20.49	89,673	19.20
उत्तर बस्तर कांकेर	79,494	18.25	82,949	19.13	80,694	19.98
कुल	**25,07,939**	**570.04**	**26,14,288**	**622.71**	**25,17,972**	**561.44**

जिला	21वीं किस्त (अगस्त'25 - नवंबर'25): लाभार्थियों की संख्या	21वीं किस्त: जारी राशि	22वीं किस्त (दिसंबर'25 - मार्च'26): लाभार्थियों की संख्या	22वीं किस्त: जारी राशि	23वीं किस्त (अप्रैल'26 - जुलाई'26): लाभार्थियों की संख्या	23वीं किस्त: जारी राशि
बालोद	1,19,981	24.07	1,20,099	24.02	1,19,220	23.85
बलौदाबाजार-भाटापारा	1,27,203	25.45	1,27,470	25.50	1,21,610	24.32
बलरामपुर-रामानुजगंज	61,117	12.22	61,422	12.28	61,125	12.23
बस्तर	63,735	12.75	63,365	12.67	61,913	12.38
बेमेतरा	1,09,963	21.99	1,10,088	22.02	1,08,826	21.77
बीजापुर	16,666	3.34	16,718	3.34	16,616	3.32
बिलासपुर	1,00,052	20.02	1,00,201	20.04	99,538	19.91
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	15,744	3.15	15,774	3.15	15,688	3.14
धमतरी	96,138	19.28	96,050	19.21	95,230	19.05
दुर्ग	78,769	15.77	78,698	15.74	77,749	15.57
गरियाबंद	98,644	19.73	98,720	19.75	97,322	19.46
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	29,944	5.99	29,997	6.00	29,767	5.95
जांजगीर-चांपा	1,21,087	24.22	1,21,113	24.22	1,20,280	24.07
जशपुर	71,543	14.31	71,647	14.33	71,171	14.23
कबीरधाम	1,13,964	22.79	1,14,105	22.82	1,13,618	22.73
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	63,155	12.63	63,231	12.65	62,898	12.58
कोण्डागांव	58,045	11.61	58,231	11.65	57,838	11.57
कोरबा	79,442	15.89	79,474	15.89	78,294	15.66
कोरिया	32,156	6.43	32,203	6.44	31,691	6.34
महासमुंद	1,26,065	25.21	1,26,456	25.29	1,25,609	25.12

मनेंद्रगढ़-चिड़मिरी-भरतपुर (एमसीबी)	28,155	5.63	28,239	5.65	27,920	5.58
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	34,027	6.81	34,053	6.81	33,781	6.76
मुंगेली	86,007	17.20	85,603	17.12	85,078	17.02
नारायणपुर	10,604	2.12	9,894	1.98	9,834	1.97
रायगढ़	86,541	17.31	86,200	17.24	85,230	17.05
रायपुर	92,372	18.48	92,083	18.42	91,445	18.29
राजनांदगांव	1,02,729	20.55	1,00,737	20.15	99,237	19.85
सक्ती	85,744	17.15	85,786	17.16	85,038	17.01
सारंगढ़-बिलाईगढ़	73,079	14.63	73,177	14.64	72,641	14.53
सुकमा	20,788	4.16	20,891	4.18	20,765	4.15
सूरजपुर	1,00,105	20.02	1,00,309	20.06	99,788	19.96
सरगुजा	86,812	17.36	86,809	17.36	86,187	17.30
उत्तर बस्तर कांकेर	78,908	15.78	79,083	15.82	78,360	15.67
कुल	**24,69,284**	**494.06**	**24,67,926**	**493.61**	**24,41,307**	**488.38**

*****